<u>सदस्यों के नामांकन के लिए प्रेस परिषद अधिनियम का प्रावधान</u>

परिषद के सदस्यों के नामांकन, कार्यकाल और त्यागपत्र के लिए प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के प्रावधान निम्नलिखित हैं:

धारा 5 परिषद की संरचना

उप धारा (1) परिषद एक अध्यक्ष और अटठाईस अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगी |

उप धारा (3) अन्य सदस्यों में से -

खंड (क) तेरह श्रमजीवी पत्रकार ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे जो विहित की जाये, जिनमें छ: समाचारपत्रों के संपादक होंगे और शेष सात, संपादकों से भिन्न श्रमजीवी पत्रकार होंगे, किन्तु भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचारपत्रों के संबंध में ऐसे सम्पादकों की और संपादकों से भिन्न ऐसे श्रमजीवी पत्रकारों की संख्या क्रमश: तीन और चार से कम नहीं होगी;

खंड (ख) छ: उन व्यक्तियों में से, जो समाचारपत्रों के स्वामी हों या समाचारपत्रों के प्रबंध का कारोबार करते हों, ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में नामनिर्दिष्ट किए जायेंगे जो विहित की जाए, किन्तु यह इस प्रकार किया जायेगा कि बड़े समाचारपत्रों, मध्यम समाचारपत्रों और छोटे समाचारपत्रों के प्रत्येक प्रवर्ग में से दो प्रतिनिधि होंगे ;

खंड (ग) एक उन व्यक्तियों में से, जो समाचार एजेंसियों का प्रबंध करते हों, ऐसी प्रक्रिया के अनुसरण में नाम निर्दिष्ट किया जायेगा जो विहित की जाये ;

खंड (घ) तीन ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें शिक्षा और विज्ञान, विधि और साहित्य तथा संस्कृति के बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो और इनमें से क्रमश: एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा, एक भारत की विधिज्ञ परिषद द्वारा और एक साहित्य अकादमी द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा ;

खंड (ङ) पाँच संसद सदस्य होंगे, जिनमें से तीन लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा लोकसभा के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे और दो राज्यसभा के सभापति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों में से नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे ;

परन्तु कोई श्रमजीवी पत्रकार, जो किसी समाचारपत्र का स्वामी हो या उसके प्रबंध का कारोबार करता हो, खंड (क) के अधीन नामनिर्देशन का पात्र न होगा ;

परन्तु यह और कि खंड (क) और (ख) के अधीन नामनिर्देशन इस प्रकार किये जायेंगे कि नामनिर्देशित व्यक्तियों में एक से अधिक ऐसे व्यक्ति न हों जो किसी समाचारपत्र में या एक ही नियंत्रण या प्रबंध के अधीन समाचारपत्रों के किसी समूह में हितबद्ध हों |

*स्पष्टीकरण - 'खंड (ख) के प्रयोजन के लिए, एक 'समाचारपत्र' को उसके प्रत्येक अंक के परिचालन के आधार पर बड़े, मझोले अथवा छोटे समाचारपत्र के रूप में वर्गीकृत माना जायेगा, जैसाकि केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, अधिनियमित करे |

(* स्पष्टीकरण, 6 जून, 1994 के असाधारण राजपत्र के जरिये संशोधित)

उप धारा (4) उपधारा (3) के खंड (क) खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कोई नामनिर्देशन करने के पूर्व प्रथम परिषद कि दशा से केन्द्रीय सरकार और किसी पश्चातवर्ती परिषद कि दशा में पूर्ववर्ती परिषद का निवृत्त होने वाला अध्यक्ष, उक्त खंड (क) खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट प्रवर्गों के व्यक्तियों के ऐसे संगमों से जो प्रथम परिषद कि दशा में, केन्द्रीय सरकार द्वारा और पश्चातवर्ती परिषदों की दशा में स्वयं परिषद द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए जायें, नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले सदस्यों की दुगुनी संख्या में नामों के पैनल विहित रीति से आमंत्रित करेगा | ऐसी समाचार एजेंसियों से, जो उपर्युक्त रूप में अधिसूचित की जायें, नामों के पैनल आमंत्रित किये जायेंगे |

बशर्ते उस श्रेणी जिसका हवाला कथित खंड (ग) में दिया गया हो, के व्यक्तियों क कोई संगम न हो, नामों के पैनल ऐसी समाचार एजेंसियों से आमंत्रित किये जायेंगे जैसाकि उपर्युक्त अधिसूचित किया जाये |

उप धारा (5) केन्द्रीय सरकार उपधारा (3) के अधीन सदस्यों के रूप में नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों के नाम,राजपत्र में अधिसूचित करेगी और ऐसा प्रत्येक नामनिर्देशन उस तारीख से प्रभावी होगा जिस दिन उसे अधिसूचित किया जाता है |

धारा 6 सदस्यों की पदावधि और निवृत्ति

उप धारा (1) इस धारा में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय अध्यक्ष और अन्य सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे |

परंतु अध्यक्ष ऐसा पद, धारा (5) के उपबंधो के अनुसरण में परिषद के पुनर्गठित होने तक या छः मास की अवधि के लिए, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, धारण करते रहेंगे |

उप धारा (2) यदि धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (क) खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट व्यक्ति धारा 14 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन परिनिदिंत

किया जाता है तो वह परिषद का सदस्य नहीं रहेगा |

उप धारा (3) धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (ड़) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य की पदावधि उसी समय समाप्त हो जायेगी जब वह उस सदन का सदस्य न रह जाये जिससे वह नामनिर्दिष्ट किया गया था |

उप धारा (4) यदि कोई सदस्य किसी ऐसे प्रतिहेतु के बिना, जो परिषद की राय में पर्याप्त हो, परिषद के तीन क्रमवर्ती अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है तो यह समझा जाएगा कि उसने अपना स्थान रिक्त कर दिया है |

उप धारा (5) अध्यक्ष केन्द्रीय सरकार को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और कोई भी अन्य सदस्य, अध्यक्ष को लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्यागपत्र, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर यह समझा जाएगा कि यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य ने अपना पद त्याग दिया है |

उप धारा (6) उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) या उपधारा(5) के अधीन या अन्यथा होने वाली कोई रिक्ति, यथाशक्ति शीघ्र, उसी रीति से नामनिर्देशन द्वारा भरी जायेगी जिस रीति से पद रिक्त करने वाले सदस्य को नामनिर्दिष्ट किया गया था और इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य, उस शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा | जिसके लिए वह सदस्य जिसके स्थान पर वह नामनिर्दिष्ट किया गया है, पद धारण करता है |

उप धारा (7) निवृत होने वाला सदस्य एक से अधिक की पदावधि के लिए पुन: नाम-निर्देशित किए जाने का पात्र न होगा |

*****